

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक : 2472/14-1

रामपुर,

दिनांक : 12, अप्रैल 2018

सेवा में,

श्री एस0 के0 सिन्हा, विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 मॅरठ
क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।

विषय :- रामपुर में स्वार-बिलासपुर मार्ग किमी0 13 की बायीं पटरी पर ग्राम मेंहदी नगर तहसील स्वार के खसरा संख्या-132 में एच0पी0सी0एल0 क्षरा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.060548 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध।

सन्दर्भ :- उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक संख्या-1856/14-2-2017-800(114) दिनांक 09004.2018

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ0एन0 संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 व एफ0एन0 संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 21.08.2014 के आलोक में रामपुर में स्वार-बिलासपुर मार्ग किमी0 13 की बायीं पटरी पर ग्राम मेंहदी नगर तहसील स्वार के खसरा संख्या-132 में एच0पी0सी0एल0 क्षरा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.060548 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक संख्या-1856/14-2-2017-800(114) दिनांक 09004.2018 निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या एवं अण्डर टेकिंग तुरन्त निम्न प्रकार उपलब्ध कराये

Observation No.	Observation	Re ply
1	वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा	
2	सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित होगी	
3	फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाये जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरु होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा	
4	प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।	
5	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.060548 हे0 अधिक नहीं होगा।	
6	इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।	-
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के माध्यम से प्रभावित वन भूमि 0.060548	

	हेक्टेयर का शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रूपये 37903/- (रूपये सैतीस हजार नो सौ तीन मात्र) paid by e-Portal generated Challan only. तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	
8	उपरोक्त आदेशों के अनुसार All Amount will be paid by e-Portal generated Challan only.	
9	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	
10	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करनी होगी।	-
11	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना(वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	
12	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	
13	प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	
14	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो।	
15	भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-Ia-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करना होगा।	
16	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
17	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।	-
18	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।	
19	प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर	

	अवस्थित करना होगा।	
20	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।	-
21	प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।	
22	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
23.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
24.	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।	
25.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	
26	प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय के परिपत्र संख्या-11-268/2014 एफसी दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का ले आउट प्रस्तुत करना होगा।	
27	प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। CA Amount Rs.102600.00 paid by e-Portal generated Challan only.	
28.	प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फ़ैलिंग, लागिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2007-एफसी, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।	
29	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं वन आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित उपलब्ध नहीं है।	
30	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	
31	कृप्या तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।	
	CA Amount as per proposal	
	CA Amount Deposite	
	Difference in amount	
	Reason for difference	
	NPV Amount As per Proposal	

	NPV Amount deposite	
	Difference in amount	
	Reason for difference	
	Any other amount deposite -(Complete detail be provide)	
	Campa Confirmation	

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक - 2472 / 14-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बाधक 03 वृक्षों का छपान व्यय रू0 30.00 प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर ई-3 जारी करें।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।